

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में

जिला पदाधिकारी  
सीतामढ़ी।

पटना, दिनांक-.....2016

विषय :- दिनांक-17.03.2016 को जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय के अनुसार (1) स्व0 चन्द्रकिशोर सिंह, पिता-योगेन्द्र सिंह, ग्राम-सिरोपट्टी, थाना-बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी (2) स्व0 राजकुमार सिंह, पिता-श्री सकलदेव सिंह, ग्राम-सिरोपट्टी, पो0-तरियानी छपड़ा, थाना-बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी (3) स्व0 मिथेलश कुमार यादव पिता-गगनदेव राय, ग्राम-बलुआ, पो0-डुमरा, थाना-रून्नीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी के आश्रितों को आतंकवाद/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा के पीड़ितों को सहायता मद से प्रति मृतक ₹3,00,000/- (तीन लाख रुपये) की दर से कुल ₹9,00,000/- (नौ लाख रुपये) मात्र भुगतानार्थ जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक-409/जि0सा0 दिनांक-19.03.2016 के आलोक में आवंटन।

वित्तीय वर्ष-2015-16 में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष-2015-16 में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को वर्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष-2015-16 में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को कुल आवंटित राशि।
₹3,00,000/- (तीन लाख रुपये) मात्र	₹9,00,000/- (नौ लाख रुपये) मात्र	₹12,00,000/- (बारह लाख रुपये) मात्र

महाशय,

उपरोक्त आवंटित राशि ₹9,00,000/- (नौ लाख रुपये) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में माँग संख्या-22 बजट शीर्ष खण्ड-11-8000-आकस्मिकता निधि, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष-0414-आतंकवाद, साम्प्रदायिक तथा नक्सली हिंसा के पीड़ितों को सहायता, विषय शीर्ष-3302-मुआवजा (विपत्र कोड 8000-एस2235602000414) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

- जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी कृपया यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान मृतकों के आश्रित को समुचित पहचान कर निम्नांकित शर्तानुसार की जाए :-

क०प०उ०

- (i) इस योजना के तहत प्रभावित की मृत्यु अथवा स्थायी अशक्तता के प्रत्येक मामले में 3 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
- (ii) 3 लाख रुपये की धनराशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में [परिवार के सदस्य (सदस्यों) के नाम में संयुक्त अथवा एकल रूप से] डाला जाएगा। इसकी परिवंधन (लॉक-इन) अवधि न्यूनतम 3 वर्ष तक अथवा यदि परिवार में केवल वयस्क बच्चे हों तो सबसे बड़े बच्चे के वयस्क हो जाने तक, जो भी बाद में हो, होगी।
- (iii) राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते की सूचना विभाग को उपलब्ध कराई जाए।
3. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सीतामढी होंगे।
4. उपरोक्त राशि की निकासी जिला क्रोषागार, सीतामढी से की जायगी।
5. यह आवंटनादेश भारत सरकार के पत्र संख्या-11044/11/2011-VTV, दिनांक-29.06.2012 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, सीतामढी की होगी।
6. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, सीतामढी द्वारा मात्र उक्त पीडित व्यक्ति/मृतक के आश्रिता को अनुग्रह-अनुदान/मुआवजा के रूप में भुगतान में उपयोग किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।
7. जिला पदाधिकारी, सीतामढी का यह दायित्व होगा की भुगतान कि गई राशि का व्यय-विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को ससमय यानि वित्तीय वर्ष 2015-16 के समाप्ति के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।
8. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, सीतामढी द्वारा उक्त राशि का भुगतान न हो पाये तो उसका प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2015-16 के समाप्ति के पूर्व गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-.....2016

ज्ञापांक-...../

प्रतिलिपि:-भुगतान एवं लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

१५

क०प०उ०

ज्ञापांक-...../

पटना, दिनांक-.....2016

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-...../

पटना, दिनांक-.....2016

स्पीड पोस्ट  
फ़ैक्स

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-...../

पटना, दिनांक-.....2016

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-...../

पटना, दिनांक-.....2016

प्रतिलिपि:-उप सचिव, प्रशाखा 'ए' गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-...../

पटना, दिनांक-.....2016

प्रतिलिपि:-आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Jitendra*  
28.03.16  
सरकार के विशेष सचिव